Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **उदयपुर में पटवारी 2500 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *28 अक्टूबर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. उदयपुर इकाई द्वारा आज गुरूवार को कार्यवाही करते हुये योगेश नागदा पटवारी हल्का सीसारमा अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का कानपुर व बछार जिला उदयपुर को परिवादी से 2500 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की उदयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि भूखण्ड की रजिस्ट्री करवाने के बाद नामान्तकरण खोलने की एवज में योगेश नागदा पटवारी हल्का सीसारमा अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का कानपुर व बछार जिला उदयपुर द्वारा 2500 रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी उदयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश ओझा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक डॉ. सोनू शेखावत** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये योगेश नागदा पुत्र स्व. श्री मनोहर लाल निवासी 63, ए–ब्लॉक, परशुराम चौराहा, उदयपुर हाल पटवारी हल्का सीसारमा अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का कानपुर व बछार जिला उदयपुर को परिवादी से 2500 रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।